कार्यालयं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। संख्या :3237 / 1जी-FP/UK/ROAD/9582/2015 देहरादूनः दिनांकः ।। मई, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन

विषय:- जनपद चमोली में मींग गदेरा से डांगतौली मोटर मार्ग हेतु 3.919 है0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/9582/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

> (एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या :

/ 1जी-FP/UK/ROAD/9582/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
- 2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी
- 3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
- 4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी
- 5. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग
- 6. अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई, कर्णप्रयाग, चमोली

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद चमोली में मींग गदेरा से डांगतौली मोटर मार्ग हेतु 3.919 है0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/9582/2015)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बद्रीनाथ वन प्रभाग में 2.572 है0 सिविल वन भूमि तथा 1.347 है0 पंचायती वन भूमि कुल 3.919 है0 वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावित है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त द्वारा प्रस्ताव पर की गई संस्तुति के कम में तथा प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के मद्देनज़र, उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्वांतिक स्वीकृति हेत् भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तृति की जाती है।

हस्ताक्षारः

नाम व पदनामः

(एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः अपर प्रमुख वून संरक्षक एवं नोडल अधिकारी व्वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड

देहरादून

1 /05/2015

स्थानः देहराद्न

प्रपत्र-2.2 PART-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

प्रोजेक्ट संख्या-FP/UK/Road/9582/2015

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा—डांगतौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.572 सिविल भूमि तथा 1.3347 है0 वन पंचायती भूमि कुल 3.919 है0 भूमि का ग्राम विकास विभाग को हस्तान्तरण।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका	
	सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ / नहीं)	<u> </u>
	यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को	07E)
	निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना	Time I down 352 gt youngs
	और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत कुल 352 ब्रम प्रमाध्य हो रहें हैं जिनमें 346 ब्रम
	Control of the Contro	न्योड़ प्रणावि के ही
		- silż XNIGH A
	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन	जनहित्र में संस्तृति की
3.	संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	
	सरक्षक का विस्तृत कारना क राज नका न	जार्र है।
	· · ·	
).	_

दिनांक	20	2	15
स्थान	7	M C	7

हस्ताक्षर 2012 5

नाम..../

(बी० पी० गुप्ता) वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पोड़ी

SITE INSPECTION REPORT

NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

- 1. A proposal has been received by this Office from the Executive Engineer, PMGSY Division, Karanprayag-1, District- Chamoli (Uttrakhand) for diversion (under FCA 1980) of 3.919 Hectare of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for the Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Phase-XIII. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date.
- 2. On inspection of the site, it is found that the land required by the User Agency is a forest area measuring 3.919 Hectare.
- 3. The requirement of Forest Land as proposed by the User Agency in Column no.-2 of Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- **4.** There are no rare / endangered / unique Species of Flora and Fauna found in the area.
- 5. There are no Archaeological / heritage site / defined establishment or any other important Monument located in the area.
- 6. The User Agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Recommended for acceptance of the proposal for diversion of <u>3.919 Hectare</u> of forest land for non-forestry purpose i.e., for construction of <u>Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Phase-XIII.</u>

Place- Geleenhure

Date-30-11-5

(Signature)

Jame (M. M. (1 tandey)

Designation बद्रोनाथ वन भाग

Office Seal.....

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा गरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -

7- परियोजना / स्कीम का स्थान (1) राज्य / संघ शासित क्षेत्र

जनपद्-बमोली से प्रथम न्यान सन्योह फोज गिर्के अन्तर्यत मिंग ग्रेट्र डांगतोली द्वीनाच बन्प्रभाग् डीपेश्बर

(2) जिला

(4) यनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तायित यन भूगि का क्षेत्र (है0) (3) यन प्रभाग

(5) यन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्य

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलगन की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल.

-4 मी0 भी संलगन किये जायं

01 700.

(9) या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिर्ज बाघ रिर्जव, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की यं)

में वनस्पति और प्राणीजात दुल / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो / । तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रति ान और कोइ अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां । तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के ाथ यदि अपेक्षित हो दें।

(8) भृक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तापित झेत मे श्रद्धारण की सम्भावना नहीं है.

FIE

8— व्योक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (ह नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गृहं कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लघंन सम्बन्धी का अभी भी चल रहे हैं।

10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा –

प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधरित वनेत्तर क्षे /अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू- पण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

Herrigo

वनपुंचायतं व सिबित्न बन् भूमि न्यूननम है अभी मार्ग प्रस्तारित है। स्कीकृती के पश्चात् निर्माण कार्य करवाभा जामेजा,

TE)

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी,समय,अनुसूची, लागत,ढांचा आदि

पाकरनन् प्रस्ताव में संकान

(4) प्रतिपूरक यनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तय परिव्यय

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीट दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपयन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 : प्एम्प्ड 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दशति हये संलग्न करें।

12- विभाग / जिलाप्रोफाइल :-

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र - 8030 वर्ष

(2) जिले का वन क्षेत्र -

5061.002 altoods

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 213 मामल 2 50 766,260

(4) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर - रिक्ट

(5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर - रिव-८

(ख) वनेत्तर भूमि पर 243 कर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

संस्तुति ही जाती है।

तिथि -

नारायणयगड

कोन ने० ०। सहकारी मोतर

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal: UK-0115/2015

1. Location of the project/Scheme: Uttarakhand

(i) State / Union Territory: Uttarakhand

(ii) District: Chamoli

(iii) Forest Division: Badrinath, Gopeshwar

(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 3.919

(v) Category: Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion:

S. No.	Division	Division Forest Land(ha.)	
1	Badrinath,Gopeshwar	2.572	Civil Soyam land
2	Badrinath,Gopeshwar	1.347	Protected Forest

Division 1.: Badrinath, Gopeshwar

3. District wise area to be diverted in the division:

S. No.	District	Area(ha.)
1	Chamoli	3.919

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(ii) Density of vegetation

S. No.	S. No. Area(in ha.)		Eco-Class	
1	3.919	0.4	Eco 5	

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31- 60)cm.	(61- 90)cm.	(91- 120)cm.	(121- 150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	chir	135	96	23	25	67
2	Misc. Species	kafal	0	01	0	0	0
3	Misc. Species	khateek	0	0	02	0	03
4	Misc. Species			97	25	25	70

- 5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion: No Data
- 6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion: According to geologist report submitted by the use
- 7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.): No Data
- $8. \;\;$ Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :
 - (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion: Not Applicable
 - (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc.: No

- Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant (iv). corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion: No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area: No
- 9. Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any:
 - (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area: No
- 10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :
 - (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes
- 11. Details of violation(s), if any ,committed :
 - (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out: No
- 12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No): No Data
- 13. Details of compensatory afforestation scheme :
- (ii). Total Financial Outlay for C.A: 10.19
- (iii). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?: Yes
- (iv). Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view: Annexure regarding suitability of land
- (v). Copy of detailed CA scheme including species to be planted,implementing agency,time schedule,cost structure etc.: Annexure CA scheme including species to be planted

14. District Profile:

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non- forest land (in ha.)
1	Chamoli	803000	514792	766.26	214	1532.52	11/02/2015	839.83	0

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land:

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Badrinath, Gopeshwar	Garhwal	DFO	Yes	One	Site Inspection Report	31/01/2015

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

 $16. \ \ Specific \ recommendation \ of \ the \ DFO/CCF/Nodal \ Officer \ for \ acceptance \ or \ otherwise \ of \ the \ proposal \ with \ reason:$

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Badrinath,Gopeshwar	Garhwal	DFO	Recommended	As the demand for the proposed road by the	Recommendation letter	

13			Report Fait 2			
				user agency is barest to the minimum and the requirement of the forest land is unavoidable hence recommended in public interest.(It is mention that the site visit as on 30.01.2015.)		
	Garhwal	CF	Recommended	The project is justified to provide connectivity to the concerned villagers.	Recommendation letter	Yes

Print page

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details
A-1. Project Details
(i). Proposal No.: FP/UK/ROAD/9582/2015
(ii). Name of Project for which Forest Land is required: Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Phase-XIII
(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required: The proposed road is for providing connectivity to villages Dangtoli, Devpuri, Narayanbagar of Chamoli District. The total population being served by the proposed road is 1681.
(iv). State: Uttarakhand
(v). Category of the Project: Road
(vi). Shape of forest land proposed to be diverted: Linear
(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs): 1003
(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 3.919
(ix). Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion(in ha.): 3.29
(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): ${\rm NIL}$
A-2. Details of User Agency
(i). Name: RES PMGSY KARANPERAYAG
(ii). Address1: Karanprayag
(iii). Address2 : NIL

```
(iv). State: Uttarakhand
  (v). District: Chamoli
  (vi). Pin: 246444
  (vii). Landmark: NIL
  (viii). Email address: eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com
  (ix). Landline Telephone No.: 244843
  (x). Fax No.: NIL
  (xi). Mobile No.: 9837092494
  (xii). Website (if any): NIL
  (xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government
  under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in
  the past: No
  (xiv). Legal status of User Agency: State Government
A-3. Details of Person Making Application
  (i). First Name: Mohammad
  (ii). Middle Name: Nasir
  (iii). Last Name: Hasan
  (iv). Gender: Male
  (v). Designation: Assistant Engineer
  (vi). Address 1: Karanprayag
  (vii). Address 2: NIL
  (viii). State: Uttarakhand
  (ix). District: Chamoli
```

(x). Tehsil: Karnaprayag

(xi). Pin: 246444

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 244843

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 9837092494

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User

Agency: Annexure U.A Document

B. Details of land required for the Project

Details of proposal seeking prior approval of Central Government B-1. under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

- (i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?.: No
- B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

	Details of Divisions involved							
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)					
1.	Badrinath,Gopeshwar	3.919	3.29					

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Chamoli	3.919	3.29

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest

			Land(ha.)
1	Dangtoli	2.607	0.735
2	Niladi	0.175	0.6475
3	Devpuri	0	0.7
4	Saned	0.315	0.5075
5	Jyuda	0.822	0.7

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.) Non-Forest Land(ha.)	
1	Road	3.919	3.29

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1.: Badrinath, Gopeshwar

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.): 3.919

(ii).: Linear

(b). No. of Segments: One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	3.919	Annexure Segment1

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: Annexure Survey of India Toposheet

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map

- <u>D.</u> <u>Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:</u>
 - (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land : $\underline{Annexure\ Justification}$
 - (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes
 - (a). Copy of map indicating location of alternative examined: <u>Annexure alternative examined</u>

2/27/2015

Report Part 1 Employment likely to be generated (i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 100 (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 54000 F. Displacement of People due to the Project, if any (i). Whether Project involves displacement?: No G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project (i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No H. Status of Environmental Clearance (i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No I. Status of Wildelife Clearance (i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas (i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed?:

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted:

Annexure Documentry Evidence

Yes

User Agency?: Yes

- (ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: No
- (iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1
- (iv). No. of patches: Two

District 1.: Chamoli

- (a). Village: Saned
- (b). Area(in ha.): 3.96
- (c). Copy of KML file of the patch: Annexure Patch
- (d). Khasra details: 149, 1422
- (e). Present owner: Others
- (f). Copy of ownership proof: <u>Annexure Copy of Ownership proof</u>
- (g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: <u>Annexure Mou/Agreement/Letter of intent executed/issued</u>
- (h). Copy of non encumberence certificate for the forest land: Annexure non encumberence certificate

District 2.: Chamoli

- (a). Village: Jyuda
- **(b). Area(in ha.):** 3.878
- (c). Copy of KML file of the patch: Annexure Patch
- (d). Khasra details: 1107
- (e). Present owner: Others
- (f). Copy of ownership proof: <u>Annexure Copy of Ownership proof</u>

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: <u>Annexure Mou/Agreement/Letter of intent executed/issued</u>

- (h). Copy of non encumberence certificate for the forest land: Annexure non encumberence certificate
- (v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station: Annexure GPS or Total Station
- (vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: <u>Annexure Survey of India Toposheet</u>

Additional information Details

Documents			
S.No		Documents	Remarks
1	Text	Additional Info.	Complete Proposal

Print page

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) प्रखण्ड कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@Rediffmail.com

पत्रांक 60 / चार-प्रावि० / वन भूमि / पी०एम०जी०एस०वाई० / 2014-15,

दिनांक-28/04/2015,

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी. बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

विषय:-

मींग गधेरा से डांगतोली मोटर मार्ग, प्रपोजल संख्या-FP/UK/ROAD/9582 /2015

सन्दर्भः

(1)—आपके कार्यालय पत्रांक—

(2)-कार्यालय वन संरक्षक, गढवाल वृत्त पौड़ी के पत्र संख्या-2765/12-1, दिनांक-31.03.15

(3)—कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-2706 / 1जी-FP/UK/ROAD/2015 ,दिनांक-27.03.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाईन प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण के क्रम में वॉछित सूचना निम्नवत

है-

(a):-पूर्व में स्वीकृत 01 किमी0 मींग गधेरा—निलाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में पूर्ण किया जा चुका है।

मींग गधेरा-निलाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 01 किमी० (0.60 है०) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (b):-की विधिवत स्वीकृत भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/06/11/2011/ एफ0सी0 / 506, दिनांक–11.05.2011 द्वारा प्रदत्त की गयी थी, जिनमें अधिरोपित शर्तों का अनुपालन निर्माण इकाई द्वारा सुनिश्चित किया गया।

(c):-पूर्व में स्वीकृत, मींग गधेरा-निलाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण 6मी० चौडाई में किया गया। वर्तमान में प्रस्तावित मींग गंधेरा—डांगतोली मोटर मार्ग का निर्माण भी 6 मी0 चौडाई (Straight Reaches) में ही किया जायेगा, जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ०७मी० चौडाई मे प्रस्तावित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि इंण्डियन रोड कांग्रेस(IRC) के मानकों के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़को का निर्माण Straight Reaches में 6.00 मी0 चौंडाई में किया जाना है, तथा 20 से 60 मी0 Radius के Curves पर 6.60 मी0 चौडाई में एवं 20 मी0 से कम Radius के Curves पर 6.90 मी0 चौडाई में किया जाना है।

अतः सूचना सादर प्रेषित है।

ग्रामीण निर्माण विभाग,पी०एम०जी०एस०वाई०

प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2706/1जी-FP/UK/ROAD/9582/2015 देहरादूनः दिनांकः 27 मार्च, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौडी

विषय:- मींग गधेरा से दंगतोली मोटर मार्ग - FP/UK/ROAD/9582/2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाइन प्रेषित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के क्रम में निम्न आपत्तियों का निस्तारण कर सूचित करने का कष्ट करें:

- 1. इस कार्यालय के पत्रांक 2422 / 1जी—FP/UK/ROAD/9582/2015 दिनांक 27.2.2015 के प्रत्युत्तर में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया है कि मींग गधेरा से नीलाड़ी मोटर मार्ग के नाम से 1 कि0मी0 लंबाई हेतु 0.60 है0 एक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव 8B/UCP/06/11/2011/FC/506 दि0 11.5.2011 द्वारा स्वीकृत है जिसका विस्तार वर्तमान में प्रस्तावित किया गया है। इस संदर्भ में अभिलेखों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त पूर्व स्वीकृत मोटर मार्ग मात्र 6 मी0 चौड़ाई हेतु स्वीकृत हुआ था। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर प्रस्तावक विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी टिप्पणी सहित प्रेषित करने का कष्ट करें:
- a. पूर्व स्वीकृत 1 कि0मी0 मींग गधेरा निलाडी मोटर मार्ग के निर्माण की प्रगति क्या है ?
- b. पूर्व स्वीकृत मोटर मार्ग में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।
- c. पूर्व स्वीकृत मोटर मार्ग की मात्र 6 मी0 चौड़ाई में निर्मित होने की परिपेक्ष्य में वर्तमान प्रस्ताव 9 मी0 चौड़ाई में क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है ?

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी १। प्रशागीय वलाधिकारी,बद्रीलाथ वल प्रशाग,गोपेश्वर ।।

पत्रांक 2900/ १२-१ गोपेश्वर, दिनांक:- मार्च

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी इन्दिरानगर।

द्वारा:-

वन संरक्षक गढवाल वृत्त पौढ़ी उत्तराखण्ड।

विषय:--

मींग गदेरा से डांगतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.913 हैं0 वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव संख्या - FP/UK/ROAD/9582/2015 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक 2422 / 1जी0- FP/UK/ROAD/9582/2015 दि0 27.02.2015 ।

महोदय.

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र में लगाई गयी आपत्तियों का प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निराकरण किया गया, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग के पत्र के क्रम में उनके जवाब सहित तीन प्रतियों में एन0ओ0सी0 डाक द्वारा मूल में प्रेषित की जा रही हैं एवं आनलॉईन एंक प्रति स्केन कर अपलोड़ की जा रही है। तीन मूल प्रतियों में वन पंचायत सरपंच एवं सिमिति द्वारा प्रदत्त प्रन0ओ०सी०।

2. अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० पत्र मूल में।

भवद्रीय

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,पी०एम०जी०एस०वाई०, प्रखण्ड्—कर्णप्रयाग।

Phone/Fax-01363244843 Email-eepmgsykaranprayag

पत्रांक 1070 / चार-प्रावि० / वनभूमि / 2014-15 सेवा मे

दिनांक 16 03 2015.

सवा म, प्रभागीय वनाधि

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर चमोली।

विषय:-

मींग गदेरा से डांगतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.919 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव संख्या—FP/UK/Road/9582/2015 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

- (1) आपका कार्यालय पंत्राक-2772 / 12-1 दिनांक 07.03.2015
- (2) कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के पंत्राक—2422 / 1जी— FP/UK/Road/9582/2015 दिनांक 27.02.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाईन प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के कम में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है।

- 1. If connectivity to the village Dangtoli is provided from the road coming up from near Harmani village, the distance required to be covered by the villagers of Dangtoli is 14 km to reach the main road (Narayanbagar Karanprayag Motor Road) whereas the villagers of Dangtoli shall require to cover a distance of 5.50 km from the proposed alignment of the road to reach the main road (Narayanbagar Karanprayag Motor Road). Also, forest clearance has been provided for 0.00 to 1.00 km (for 0.60 Hectares vide letter no.- 8B/UCP/06/11/2011/FC/506 dated 11.05.2011 under the name as 'Meeng Gadera Niladi Motor Road') and the proposed alignment of the road is an extension of the already existing 0.00 to 1.00 km of the road. Deviation from the proposed alignment shall result in abandoning of the existing 1.00 km of the already constructed road.
- 2. The proposal involves Van Panchayat Area measuring to 1.347 Hectares of Village Dangtoli. The NOC from concerned Sarpanch along with a copy of the resolution passed by the Van Panchyat Committee has been obtained and is enclosed for kind reference.

अतः सूचना सादर प्रेषित।

संलग्नः— अनापत्ति प्रमाण पत्र,वन पंचायत, सरपंच एवं समिति द्वारा प्रदत्त।

> अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

वन पंचायत सरपंच, ग्राम डांगतोली द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेश से डांगतोली मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली वन पंचायत भूमि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तावित मोटर मार्ग पर ग्राम डांगतोली की 1.347 है0 वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में दिनांक—19.02.2015 को वन पंचायत समिति ग्राम डांगतोली के सदस्यों द्वारा आहूत बैठक में सर्व सहमित से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि वन पंचायत समिति, ग्राम डांगतोली को प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली ग्राम डांगतोली की वन पंचायत भूमि, ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण करने पर कोई आपित नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक—20.02.2015 संलग्नः—वन पंचायत समिति, डांगतोली द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र

> (हरेन्द्र सिंह) सरपंच, वन पंचायत डांगतोली तहसील–थराली



वन पंचायत समिति, ग्राम डांगतोली के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव व अनापत्ति प्रमाण पत्र।

आज दिनांक—19.02.2015 के वन पंचायत समिति, ग्राम डांगतोली की बैठक आहूत की गयी, बैठक में सर्वसम्मित से यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मींग गदेश से डांगतोली मोटर मार्ग के निर्माण में 1.347 है0 वन पंचायत भूमि के हस्तान्तरण हेतु वन पंचायत समिति के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र0स0	सदस्यों के नाम	∧ हस्ताक्षर
1	श्री यशपालसिंह	of egiven
2	श्री मेहरबान सिंह	में जी गर्म ह
3	श्री दुलप सिंह	(युलपा स है
4	श्री आनन्द सिंह	31/20202
5	श्री मगन सिंह	417 60 8
6	श्रीमती सुन्दरी देवी	सम्परीयी
7	श्रीमती राधा देवी	218189
8	श्रीमती नीमा देवी	क्रामा दूर्वा
9	श्री सुलोचना देवी	र्लाया हती

(हरेन्द्र सिंह) सरपंच वन पंचारात डांगतोली।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : /1जी-FP/UK/ROAD/9582/2015 देहरादूनः दिनांकः फरवरी, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी

विषय:— Meeng gadhera – Dangtoli Motor Road – FP/UK/ROAD/9582/2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाइन प्रेषित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के क्रम में निम्न आपित्तियों का निस्तारण कर सूचित करने का कष्ट करें:

- 1. The perusal of maps indicate possibility of alternate alignment between Dangtoli village and the road coming up from near Harmani village instead of the alignment between Dangtoli village and Meeng gadhera consisting of several hairpin bends through dense forest area. There is an existing alignment from Meeng gadhera to Jyura along the other side of the stream which can be extended upto village Dangtoli as proposed in the current proposal. But instead of connecting Dangtoli back to Meeng gadhera, the circuit can be completed by connecting it to the road coming from Harmani. Kindly explore the possibility of this alternate alignment and inform accordingly.
- 2. If the proposal involves Van Panchayat area, then the NOC from concerned Sarpanch and a copy of the resolution passed by the Van Panchayat Committee need to be provided along with the proposal.

भवदीय.

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

